रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 1976/अग्रहायण 25, 1898

No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 1976/AGRAHAYANA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

*New Delhi, the 16th December 1976*

G.S.R. 922(E).—In pursuance of Section 1(2) of the Diplomatic and Consular Officers (Fees) (Amendment) Rules, 1976 [G.S.R. 817(E)], it is hereby declared that the provisions of the said Rules will come into force with effect from January 1, 1977.

[No. F. T.4330/11/75]

C. V. RANGANATHAN, Jt. Secy. (PV).

## विदेश मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1976

**जी० एस० आर०** 922(अ).—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शुल्क) (संशोधन) नियम, 1976 [जी० एस० आर०—817 (ई)] की धारा 1 (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त नियम के प्रावधान 1 जनवरी, 1977 से लागू होंगे ।

[सं० फा० टी० 4330/11/75]

सी० वी० रंगानाथन, संयुक्त सचिव (पीवी)

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976